(54)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 660– /1995 – विरूद्व आदेश दिनांक 12–05–1995 – पारित व्दारा आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 185/1994–95 अपील

1– बीरेन्द्र सिंह पुत्र साधूलाल सिंह

2– राजललन सिंह पुत्र हरशरण सिंह

दोनों ग्राम बाबूपुर तहसील नानौद जिला सतना ———अपीलांटस्

विरूद्व

मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर सतना ———रिस्पाण्डेन्ट

(अपीलांट्स के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)

(अनावेदक के पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 06 – 4 – 2017 को पारित)

यह अपील आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 185/1994–95 अपील में पारित आदेश दिनांक 12–5–1995 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि कलेक्टर जिला सतना ने प्रकरण कमांक 374 अ 65/1994–95 में पारित आदेश दिनांक 13–1–1995 से ग्राम बाबूपुर की भूमि सर्वे कमांक 179 रकबा 0.178 हैक्टर का अंश भाग निस्तार पत्रक से प्रथक कर ग्राम की आबादी हेतु सुरक्षित कर दिया । इस आदेश के विरूद्व अपीलांट्स ने आयुक्त रीवा

संभाग रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 185/1994–95 अपील में पारित आदेश दिनांक 12–5–1995 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से दुखी होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ अपील मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 185/1994–95 के प्रकरण में आये तथ्यों का अवलोकन किया गया।

4/ अपीलांट्स के अभिभाषक का तर्क है कि ग्राम बाबूपुर की भूमि सर्वे कमांक 179 रकबा 0.178 हैक्टर सार्वजनिक प्रयोग की है एंव तलैया के रूप में सरकारी कागजों में दर्ज है। ऐसी भूमि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 237 के अंतर्गत सुरक्षित रखी जाती है जिसका मद परिवर्तन सार्वजनिक हित से जुड़े होने के कारण नहीं किया जा सकता। मौके पर देवस्थान बना हुआ है तथा शीषम के पेड़ खडे हैं ग्राम पंचायत की राय नहीं ली गई है जिसके कारण कलेक्टर जिला सतना ने प्रकरण कमांक 374 अ 65/1994–95 में पारित आदेश दिनांक 13–1–1995 दोषपूर्ण है इसलिये निरस्त किया जाय।

रिस्पा0 के पैनल लायर का तर्क है कि भूमि का मद परिवर्तन सार्वजनिक हित में आबादी उपयोग के लिये किया गया है अपीलांट्स वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण बनाये रखना चाहते हैं इसलिये अपील करते आ रहे है। उन्होंने अपील निरस्त करने की मांग की।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 185/1994–95 में आये तथ्यों के अवलोकन से परिलक्षित है कि वाद विचारित भूमि का ग्राम की आबादी के लिये मद परिवर्तन किया गया है जहॉ तक संहिता की धारा 237 के अंतर्गत भूमि के मद परिवर्तन में ग्राम पंचायत की राय लिये जाने का प्रश्न है ? ग्राम पंचायत की राय वहॉ आवश्यक है जहॉ किसी ग्रामवासी व्दारा मांग किये जाने पर भूमि के मद परिवर्तन पर विचार किया जाय। विचाराधीन प्रकरण में भूमि मध्य प्रदेश शासन की है तथा कलेक्टर व्दारा सार्वजनिक

हित में भूमि का मद परिवर्तन किया गया है जिसके लिये संहिता में दी गई व्यवस्था अनुसार कलेक्टर सक्षम हैं। वैसे भी विद्वान आयुक्त, रीवा संभाग रीवा ने अपील प्रकरण में पूर्ण विचारोपरांत Speaking Order दिनांक 12–5–1995 को पारित किया है जिसमें फेर–बदल की गुँजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 185/1994–95 अपील में पारित आदेश दिनांक 12–5–1995 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर